# सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

## भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) बिल, 2013

- भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) बिल, 2013 की जांच करने के लिए गठित सिलेक्ट कमिटी ने 12 अगस्त, 2016 को राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कमिटी ने बिल के उन संशोधनों की भी जांच की है जो सरकार ने नवंबर, 2015 में वितरित किए थे। इस बिल को अगस्त, 2013 में राज्यसभा में पेश किया गया था और इससे पहले भी फरवरी, 2014 में स्टैंडिंग कमिटी ने बिल की जांच की थी।
- **बिल की उपयुक्तता (एप्लीकेबिलिटी)** : एक्ट और बिल के दायरे में मौजूदा पब्लिक सर्वेंट तो आते ही हैं, साथ ही वे व्यक्ति भी आते हैं जिनके पब्लिक सर्वेंट बनने की संभावना है। कमिटी ने सुझाव दिया कि जिन लोगों के पब्लिक सर्वेंट बनने की संभावना है, उन्हें एक्ट के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। कमिटी ने कहा कि चूंकि कोई व्यक्ति तब तक पब्लिक सर्वेंट नहीं बन सकता, जब तक कि उसका चयन नहीं हो जाता, इसलिए जिन व्यक्तियों ने अभी तक पब्लिक ऑफिस में प्रवेश नहीं किया है, वे लोग अनुचित तरीके से प्रभावित हो सकते हैं।
- **रिश्वत लेने की परिभाषा** : एक्ट और बिल किसी पब्लिक सर्वेंट को दंडित करते हैं, अगर वह रिश्वत 'लेने को राजी' हो जाता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि इन शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए। कमिटी के अनुसार, भागीदारों ने यह सुझाव दिया है कि सिर्फ इरादा होना (कि रिश्वत लेनी है) अपराध नहीं होता। यह तब अपराध होगा, जब पब्लिक सर्वेंट इस इरादे के साथ रिश्वत लेने की कार्रवाई भी करे।
- 2015 के संशोधन यह प्रावधान प्रस्तावित करते हैं, अगर कोई व्यक्ति 'सरकारी कार्य या गतिविधि पूरा करने में बेइमानी नहीं करता है' तो उसे रिश्वत लेने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। कमिटी ने सुझाव दिया कि इस प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए।
- **रिश्वत देने की परिभाषा** : बिल ऐसे व्यक्ति को दंडित करने की बात करता है (कमर्शियल संगठन सहित), जो किसी दूसरे व्यक्ति को रिश्वत 'देने का प्रस्ताव रखता है या वादा करता है'। कमिटी ने कहा कि सिर्फ रिश्वत का 'प्रस्ताव देना' तब तक कोई अपराध नहीं, जब तक उसे स्वीकार नहीं किया जाता। कमिटी ने सुझाव दिया कि 'प्रस्ताव देना' जैसे शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए।
- **मजबूरी में और इच्छा से रिश्वत देना** : कमिटी ने कहा कि बिल ऐसे व्यक्तियों के बीच भेद नहीं करता जो मजबूरी में रिश्वत देते हैं और जो रिश्वत लेने वाले से सांठ-गांठ करते हैं और रिश्वत देते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि अगर रिश्वत देने वाला, जिसे रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा है, पुलिस को सात दिन के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट करता है, तो उसे आपराधिक अभियोजन से छुटकारा मिल सकता है।
- **व्यावसायिक संगठन द्वारा रिश्वत देना** : बिल में ऐसे व्यावसायिक संगठन को दंडित करने का प्रावधान है जो व्यापार को हासिल करने या उसे बरकरार रखने के लिए किसी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देता है। बिल में व्यवसाय में धर्मार्थ सेवाओं (चैरिटेबल सर्विसेज) को भी शामिल किया गया है। कमिटी ने सुझाव दिया कि इसमें धर्मार्थ संगठनों को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि इससे उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।
- **रिश्वत देने के लिए सजा** : बिल के तहत रिश्वत देने वाले को तीन से सात वर्ष के बीच की सजा भुगतनी पड़ सकती है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि सजा की न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। इसे अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर अदालत के विवेकाधिकार पर छोड़ा जा सकता है।

**प्रियंका राव**
prianka@prsindia.org

**30 अगस्त, 2016**

- **'अनुचित लाभ' की परिभाषा** : 2015 का संशोधन 'अनुचित लाभ' में कानूनी पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के परितोष (ग्रैटिफिकेशन) को शामिल करता है। कमिटी ने पाया कि ये शब्द अन्य कानूनों में व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किए जाते और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। कमिटी ने इन शब्दों को प्रस्तावित करने पर अपनी सहमति जताई लेकिन इनके दुरुपयोग के संबंध में चेतावनी बरतने का सुझाव दिया।
- **जुर्माने की राशि का निर्धारण करते हुए विचारणीय मुद्दे :** एक्ट कहता है कि (i) आपराधिक दुर्व्यवहार, और (ii) आदतन अपराधी के अपराध के लिए जुर्माने की राशि का निर्धारण करने के दौरान, अदालत को प्रॉपर्टी इत्यादि के मूल्य पर विचार करना चाहिए जिसकी हेराफेरी पब्लिक सर्वेंट ने की है। कमिटी ने सुझाव दिया कि इस प्रावधान में (i) रिश्वत लेने का प्रयास करना, या (ii) रिश्वत लेना, और (iii) रिश्वत देने का अपराध (किसी व्यक्ति और व्यावसायिक संगठन) भी शामिल किया जाना चाहिए।
- **पब्लिक सर्वेंट की जांच के लिए पूर्व अनुमति :** 2015 का संशोधन कहता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की जांच से पहले एक पुलिस अधिकारी को (i) लोकपाल या (ii) लोकायुक्त या प्रासंगिक राज्य अथॉरिटी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। कमिटी ने सुझाव दिया कि पब्लिक सर्वेंट के लिए अधिकृत (सैंग्शनिंग) अथॉरिटी वह प्रासंगिक सरकार होनी चाहिए जिसने उसे नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मामला होने पर, अधिकृत अथॉरिटी वह होनी चाहिए जिसके पास उसे उसके कार्यालय से हटाने का अधिकार हो।
- इसके अतिरिक्त, अधिकृत अथॉरिटी को तीन महीने के अंदर जांच करने की मंजूरी दे देनी चाहिए। इस अवधि को किन्हीं कारणों से एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, पर उन कारणों के बारे में उस अथॉरिटी को लिखित में रिकॉर्ड करवाना होगा।

**अस्वीकरणः** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।